



Neutral Citation No. - 2026:AHC:60190

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 44/2026

कामिल अहमद

..... पुनरीक्षणयाची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

..... प्रतिपक्षी

पुनरीक्षणयाची के अधिवक्ता : पवनेश कुमार यादव, सोनू यादव

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 87

माननीय न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि

1. पुनरीक्षणयाची के अधिवक्ता श्री पवनेश कुमार यादव के सहायक विद्वान अधिवक्ता श्री विपिन कुमार, और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण याचिका में प्रार्थना खंड में उल्लिखित राहत की मांग की गई है। प्रार्थना खंड नीचे दिया गया है:-

"अतः अत्यंत विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि यह माननीय न्यायालय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय 1, बुलंदशहर द्वारा दिनांक 26.11.2025 को भरण-पोषण मामले संख्या 1139/2022 (मेहरुनिशा और अन्य बनाम कामिल अहमद) में धारा 125 दं.प्र.सं. के तहत पारित निर्णय और आदेश को रद्द/अपास्त करने की कृपा करे। यह मामला थाना गुलावती, जिला बुलंदशहर का है। विचारण न्यायालय ने प्रतिपक्षी संख्या 2 के पक्ष में 5000/- रुपये और प्रतिपक्षी संख्या 3 के पक्ष में 3000/- रुपये का भरण-पोषण प्रदान किया है।"

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि याचिकाकर्ता परिवार न्यायालय द्वारा प्रदान किए गए भरण-पोषण, अर्थात् पत्नी को 5000 रुपये और विपक्षी संख्या 3 को 3000

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रुपये का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है। नाबालिग बेटी को भोजन , आवास, चिकित्सा उपचार, शिक्षा, वस्त्र आदि के खर्चों के लिए 3,000/- रुपये दिए जाने का आदेश दिया गया है। यह तर्क दिया गया है कि बुलंदशहर स्थित माननीय परिवार न्यायालय द्वारा दी गई राशि याचिकाकर्ता (जो क्रमशः पति और पिता हैं) की आय के अनुपात में नहीं है। 4. इस न्यायालय ने दिनांक 26.11.2025 के विवादित आदेश का अवलोकन किया है , जिसके द्वारा पत्नी और नाबालिग बच्चे के पक्ष में आवेदन की तिथि से भरण- पोषण प्रदान किया गया है। माननीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , परिवार न्यायालय ने यह निष्कर्ष दर्ज किया है कि पत्नी को शारीरिक और मानसिक क्रूरता के साथ- साथ दहेज की मांग के कारण ससुराल छोड़ने के लिए विवश किया गया था। माननीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश ने आगे यह भी नोट किया है कि दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया गया था और मामले के सभी प्रासंगिक पहलुओं पर विधिवत विचार किया गया था। संबंधित न्यायालय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजेश बनाम गणेशन , 1996 एससीसी 326, शमीमा फारूकी बनाम शाहिद खान (आपराधिक अपील संख्या 564 और 565 वर्ष 2015, दिनांक 06.04.2015 को निर्णय लिया गया) और राजनेश बनाम नेहा और अन्य, 2021(2) एससीसी 324 में दिए गए कानून को भी ध्यान में रखा है।

5. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 एक आपातकालीन प्रावधान है जिसे बेघरपन और दरिद्रता को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया है। यह पत्नी, नाबालिग बच्चों और माता- पिता के पक्ष में भरण-पोषण प्रदान करने का प्रावधान करती है , सिवाय उस स्थिति में जब मामला धारा 125(4) के तहत पत्नी के मामले में दिए गए अपवादों के अंतर्गत आता हो। धारा 125 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति पर्याप्त साधनों के साथ अपनी पत्नी, वैध या अवैध नाबालिग बच्चे , या पिता या माता , जो स्वयं का भरण- पोषण करने में असमर्थ हैं , का भरण-पोषण करने में उपेक्षा करता है या इनकार करता है , तो ऐसे व्यक्ति आवेदन दाखिल करके सक्षम न्यायालय से भरण-पोषण का आदेश मांग सकते हैं। न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करके उचित आदेश पारित करेगा। यह भी ध्यान देने योग्य है कि भरण- पोषण निर्धारित करते समय न्यायालय भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के साधनों और क्षमता को ध्यान में रखता है, और केवल पर्याप्त आय से इनकार करना भरण- पोषण के वैधानिक दायित्व से बचने का आधार नहीं हो सकता।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए , वर्तमान पुनरीक्षण याचिका खारिज की जाती है और संबंधित न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह भरण- पोषण आदेश को यथाशीघ्र लागू करे , क्योंकि निर्धन पत्नी और नाबालिग बच्चा 24.08.2022 से न्यायालय के समक्ष संघर्ष कर रहे हैं , और अभी तक याचिकाकर्ता द्वारा कोई भरण- पोषण राशि का भुगतान नहीं किया गया है, जो क्रमशः प्रतिपक्षी संख्या 2 और 3 का पति और पिता है।

7. माननीय अपर प्रधान न्यायाधीश , परिवार न्यायालय को तत्काल वसूली कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया जाता है। यदि याचिकाकर्ता बकाया भरण- पोषण और नियमित भरण- पोषण का भुगतान करने में विफल रहता है , तो उसकी संपत्ति कुर्क कर नीलाम की जाएगी और बिक्री से प्राप्त राशि को प्रधान न्यायाधीश , परिवार न्यायालय , बुलंदशहर के खाते में बकाया भरण- पोषण के भुगतान के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित जमा किया जाएगा , और नियमित भरण-पोषण भी उक्त बिक्री राशि से ही भुगतान किया जाएगा।

(न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि)

24 मार्च, 2026

डीकेएस